न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 169 / 2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट, 1958

उनवान

1- मुलाब सिंह पुत्र जयसिंह राजपूत निवासी सुरजपुरा तहसील शाहपुरा
2- 3 अल्का, कल्पना पुत्रीया दिलीपसिंह राजपूत निवासी सुरजपुरा(कादीसहना) तह0 शाहपुरा
4-7 कालूसिंह गुमानसिंह, विनोदकंवर, भगवानसिंह पिता जयसिंह राजपूत निवासी सुरजपुरा(कादीसहना) तह0 शाहपुरा
8- भंवर सिंह पुत्र दिलीपसिंह राजपूत निवासी सुरजपुरा(कादीसहना) तह0 शाहपुरा
9- मानकंवर पत्नी दिलीपसिंह राजपूत निवासी सुरजपुरा(कादीसहना) तह0 शाहपुरा
10- लालसिंह पुत्र जयसिंह राजपूत निवासी सुरजपुरा(कादीसहना) तह0 शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1- जसवीरसिंह पुत्र रघुपालसिंह राजपूत निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
2- गजेन्द्रसिंह पिता मदनसिंह राजपूत निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थित – श्री कैलाश चन्द्र पाराशर
अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 05 / 01 / 2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थीगण के ग्राम सूरजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा मे स्थित **आराजी नम्बर 94 रकबा 0.21 है0, 95 रकबा 0.06 है0 कुल किता 2 रकबा 0.27 है0** हैक्टेयर के प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से अक्सर सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण को सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी व हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम सूरजपुरा संवत 2073 से 2076** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **सूरजपुरा** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात् **किता 2 रकबा 0.27 है0 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुय **ऑफ सीजन में** किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस **50/–** रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से कम अर्द तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05 / 01 / 2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि – तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.